भाग १ (ख)

महत्व पूर्ण सरकारी आज्ञाएं

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

जयपुर, अप्रेल ७, ५६६६

संख्या एफ ७ (८ ७) रा० क०/६६ चूंकि विज्ञप्ति सख्या FLD २५५५/१२६६४७/E दिनांक २१-१०-५५ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को भारतिय वन अधिनियम (१६२७ का अधिनियम संख्या २१) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों निबटा दी गई हैं ।

और चूंकि उपयुक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई हैं ।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिए अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं ।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम की धारा २० द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक से प्रभाव रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन ने कि नीचे लिखे गांव अधिकारी की संक्षिप्त सूचि (१) में उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे व संक्षिप्त सूचि (२) में उल्लेखित सीमा तक ऐसे मौसमो में उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाय, रियाअती का उपयोग करेंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एस० डी० उज्वल,

अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकडों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
ोही	आबूरोड	भाखर	डेरना	२५२-२६	परिशिष्ट (अ) सीमा रेखा विवरण संलग्न है
			टुंका	३०१-८६	
			निचला खेजडा	३४०१-७२	
			निचलागढ	४०८०-४६	
			जायद्रा	३२०५-१८	
			क्यारी	१६०४-२६	
			टोकियो	८१७६-४६	
			दोतरा	५४४६-२४	
			बोरीबुज	३१२४-६८	
			ावा	३३८६-४२	

१	२	३	४	५	६
सिरोही	आबूरोड	भाखर	[illegible]ला खेजडा	३३१५-१२	
			रनोरा	२०६७-५०	
			भमरिया	२३३४-८८	
			बूजा	१६०२-१८	
			निचलोबोर	१५३१-६०	
			उपत्यागढ	८९००-०२	
			सूरपगला	१२५०-४६	
			डेरी	६६८६-५२	
			राडा	१४७५-००	
				१३७००-३२	
			उपलीबोर		
			मेरण	४२३२-८४	
			तलेटी	२२०९-८४	
			जाम्बुडी	३५१३-९८	
			बोसा	३९९२-६४	
				८८६७३-४४	